नटराज चिनाप्पा नायर

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

7 जुलाई, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत और पी.सतशिवम, जे.जे.]

भारतीय दण्ड संहिता, 1860- धारा 302- अभियुक्त को उसकी माँ द्वारा पुलिस स्टेशन लाया गया- उसने एस.एच.ओ को बताया कि उसने गुस्से में अपनी पत्नी पर हमला किया और उसके बाद उसने जहर खा लिया- विचारण न्यायालय द्वारा पारिस्थितजन्य साक्ष्य के आधार पर धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध घोषित किया- उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गयी-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः पीडब्लू 3 जिसने आरोपी और उसकी पत्नी को उनके घर अपने रिक्शा से छोडा था ने आरोपी द्वारा अपनी पत्नी को गाली देने के बारे में बताया- मृतका की मृत्यु चॉपर द्वारा कारित धारदार चोटो के परिणामस्वरूप हुयी- एक चॉपर और एक ब्लाउज की अभियुक्त के बताने पर बरामदगी निश्चायक तौर पर यह स्थापित करती है की अभियुक्त ने पहले अपनी पत्नी का ब्लाउज हटाया और फिर चॉपर से उस पर हमला किया-साक्ष्य-पारिस्थितिजन्य साक्ष्य-साक्ष्य का मूल्यांकन।

अपीलार्थी को उसकी माँ के द्वारा टैक्सी में पुलिस स्टेशन लाया गया था, जिसने पुलिस स्टेशन के एस.एच.ओ. को सूचित किया कि अपीलार्थी ने जहर खा लिया था। एस.एच.ओ. ने अपीलार्थी से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने गुस्से में अपनी पत्नी पर हमला किया और उसके बाद उसने जहर खा लिया। उसे अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस अधिकारी ने मौके पर जाकर अपीलार्थी की पत्नी को घायल पाया। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। धारा 302 भा.द.सं के तहत

आरोप पत्र दायर किया गया। विचारण न्यायालय ने पाया की मामला पारिस्थितजन्य साक्ष्य पर आधारित है और परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी हो गयी थी और, अपीलार्थी को धारा 302 भा.द.सं. के तहत दोषसिद्ध घोषित करके आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्ध की पुष्टि की। इसलिए वर्तमान अपील खारिज करते हुये न्यायालय ने कहा, अभिनिर्धारितः जो परिस्थितियां अधीनस्थ न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषसिद्ध ठहराने के लिए उजागर करी गयी हैं वह पीडब्लु 03 की साक्ष्य है जिसने अपीलार्थी और उसकी पत्नी को रिक्शा से उनके घर छोड़ा था एवं उसने बताया था कि अपीलार्थी अपनी पत्नी को गालियां दे रहा था। हमले के बाद उसने जहर खा लिया था और फिर उसकी माँ उसे पुलिस स्टेशन लेकर गयी और उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया जहॉं डॉक्टर ने उसका ईलाज किया। अपीलार्थी की पत्नी की मृत्यु कई सारी चोटो के परिणामस्वरूप हुई जो की चॉपर से मारी गयी थी। एक चॉपर और एक ब्लाउज की अभियुक्त के बताने पर बरामदगी एवं अन्य परिस्थितियो से यह निश्चायक तोैर पर स्थापित किया जा सकता है की अपीलार्थी कमरे में था और उसने पहले अपनी पत्नी का ब्लाउज हटाया और फिर चॉपर से उस पर हमला किया। {पैरा 5} {88-डी, ई व एफ}

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 1002/2008

आपराधिक अपील संख्या 47/2005 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांकित 15.12.2005 से।

अपीलार्थी के लिये शंकर दिवाते (ए.सी)

प्रत्यर्थी के लिए रविन्द्र के. अड़सुरे।

न्यायालय का निर्णय दिया गया- डॉ. अरिजीत पासायत, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. इस अपील में चुनौती बॉम्बे उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच के उस निर्णय को दी गयी है जिसमें अपीलार्थी द्वारा पेश की गयी अपील जिसमें उसने विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्रेटर मुम्बई का एस.सी केस नं. 1098/1998 के फैसले के औचित्य पर सवाल उठाया था, जो खारिज कर दी गयी थी। उसे धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (संक्षेप में भा.द.सं.) के अंतर्गत दोषसिद्ध घोषित किया गया था।

3- संक्षेप में अभियोजन का मामला इस प्रकार हैः

पी.एस.आई. बलवंत पाटिल तिलक नगर पुलिस स्टेशन में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक स्टेशन हाउस ऑफिसर के रूप में काम कर रहे थे। शाम को 4:30 पीएम पर एक टैक्सी पुलिस स्टेशन के सामने आकर रूकी। एक महिला जिसका नाम तुलसीबाई चिन्नाप्पा था, उक्त टैक्सी से उतरीं और पुलिस स्टेशन आईं और स्टेशन हाउस ऑफिसर पाटिल को सूचित किया की उसके बेटे नटराज ने टिक 20 नामक जहर का सेवन किया है और उसे टैक्सी में लाया गया है। स्टेशन हाउस ऑफिसर टैक्सी की तरफ दौड़े। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछताछ की जिसके बारे में उन्हें कहा गया था की उसने टिक 20 नामक जहर का सेवन किया था। उक्त व्यक्ति ने कथित तौर पर उनके सामने कहॉ की उसने गुस्से में अपनी पत्नी पर हमला किया और उसने खुद टिक 20 का सेवन कर लिया है। टैक्सी में बैठे दो अन्य लोग निवास अय्यर और प्रकाश मुथकर थे। वह व्यक्ति जिसके बारे में कहा गया था कि उसने टिक 20 का सेवन किया है, उसकी हालत गंभीर हो गयी और उसे राजावाडी अस्पताल पी.सी.सं. 5437 के साथ भेज दिया गया। पी.एस.आई. पाटिल और पी.आई. शिरोले घटनास्थल पंचशील नगर गए। कई लोग एक कच्ची सडक के सामने जमा हुए पाए गए। उन्होनें कमरे में प्रवेश किया और पाया की एक महिला कमरे में घायल अवस्था पड़ी है। पूछताछ में पी.एस.आई पाटिल को नटराज की बहन लक्ष्मी सूर्या से पता चला की घायल महिला उसके भाई नटराज नायर की पत्नी है। घायल महिला की हालत गंभीर थी तथा उसे राजावाड़ी

अस्पताल भेज दिया गया। अस्पताल में भर्ती होने से पहले उसे ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। पी.एस.आई पाटिल ने अभियुक्त के विरूद्ध राज्य की ओर से शिकायत दर्ज कराई। अपराध अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी तिलक नगर पुलिस थाने में अपराध सं. 143-98 पर दर्ज किया गया।

पी.एस.आई. पाटिल ने मृतका सूर्या नटराज के शव का पंचनामा तैयार किया। आगे की जॉच पी.आई. शिरोले द्वारा की गयी। उन्होनें गवाहों के बयान दर्ज किए। 26.07.1998 को उन्होने आरोपी के कपडे जब्त किये और पंचनामा तैयार किया। 01.08.1998 को मेमोरेंडम डिस्कवरी पंचनामा के अंतर्गत अभियुक्त नटराज के द्वारा दी गयी जानकारी पर उन्होनें चॉपर और ब्लाउज को जब्त किया। अभियुक्त को 29.07.1998 को अस्पताल से छुट्टी देने पर गिरफ्तार किया गया। 10.08.1998 को संलग्न संपत्ति सी.ए. के पास आवरण पत्र के साथ भेजी, जिस पर पी.आई. शिरोले के हस्ताक्षर थे।

चूंकि अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया इसलिए अभियोजन पक्ष के विवरण की पुष्टि करने के लिए ग्यारह गवाहों के बयान लिए गए। विचारण न्यायालय द्वारा यह पाया गया की हालांकि मामला पारिस्थितजन्य साक्ष्य पर आधारित है और परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी हो रही है इसलिए उसे भा.द.सं. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी घोषित किया जाना चाहिए। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी। अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क रखा गया की अभियोजन पक्ष द्वारा जिन परिस्थितियों पर प्रकाश डाला गया था उनसे अभियुक्त की दोषसिद्धि का मामला नहीं बनाता है। दूसरी ओर अभियोजन पक्ष ने कहा की परिस्थितियॉ स्पष्ट रूप से अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध को स्थापित करती हैं।

4. अपील के समर्थन में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया की मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, दोषसिद्धि के लिए कोई मामला नहीं बनता है।

5. दूसरी ओर राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आदेश का समर्थन किया। जो परिस्थितियां विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त अपीलार्थी को दोषसिद्ध ठहराने के लिए उजागर करी गयी है वह अनिल दास-पीडब्लू 03 की साक्ष्य है जिसने अपीलार्थी और उसकी पत्नी को अपने रिक्शा में उनके घर छोड़ा था एवं बताया था की अपीलार्थी अपनी पत्नी को गालियां दे रहा था। हमले के बाद उसने जहर खा लिया था और फिर उसकी माँ उसे पुलिस स्टेशन लेकर गयी और उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसका डॉक्टरो ने ईलाज किया। मृतका की मृत्यु उसके शरीर पर कारित कई धारदार चोटों की वजह से हुई जो की चॉपर से मारी गयी थी। एक चॉपर और एक ब्लाउज की अभियुक्त के बताने पर बरामदगी एवं अन्य परिस्थितियों से यह निश्चायक तौर पर यह स्थापित किया जा सकता है की अपीलार्थी कमरे में था और उसने पहले अपनी पत्नी का ब्लाउज हटाया और फिर चॉपर से हमला किया।

6. इन परिस्थितियों में, हम इस अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं अतः इसे खारिज किया जाता है।

बी.बी.बी. अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विक्रम चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।